

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2023

जयपुर, दिनांक : 25.08.2023

आ दे श

निम्नांकित चिकित्सक एवं कार्मिकों के विरुद्ध सिलिकोसिस प्रमाणीकरण में अनियमितता के प्रकरण में जांच रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इन्हें तुरन्त प्रभाव से राज्य सेवा से निलम्बित करने के एतद द्वारा आदेश प्रदान करती है:-

1. डा. दिनेश मीणा, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, महुआ, दौसा
2. डा. सुरेश कुमार सैनी, रेडियोलोजिस्ट, जिला चिकित्सालय, महुआ, दौसा
3. श्री लोकेन्द्र सिंह गुर्जर, रेडियोग्राफर, जिला चिकित्सालय, महुआ, दौसा

निलम्बन काल में उक्त चिकित्सकों का मुख्यालय निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर एवं कार्मिक का मुख्यालय निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर के कार्यालय में रहेगा। उक्त चिकित्सकों एवं कार्मिक को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निमिषा गुप्ता)

संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग एवं पंचायती
राज (चिकित्सा) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
- 2- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 3- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त आदेशों की पुष्टि कराने की कृपा करावें।
- 4- निदेशक (जनस्वास्थ्य/अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त चिकित्सक एवं कार्मिकों की उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति दर्ज करावें।
- 5- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त चिकित्सकों एवं कार्मिक के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्रानुसार आरोप पत्रादि निदेशक (जनस्वास्थ्य) के माध्यम से अविलम्ब भिजवावें।
- 6- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, महुआ, दौसा
- 7- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा
- 8- संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक, जन स्वास्थ्य
- 9- कम्प्यूटर सेल
- 10- निजी /रक्षित पत्रावली
- 11- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को संबंधित को ई-मेल करावें एवं विभाग की वेबसाईट पर आज ही अपलोड करावें।

Signature valid

Digitally signed by संयुक्त शासन सचिव
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2023.08.25 09:06:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4602295

